नकल ब तारीख ... जो इस ... तारीख में जारी ...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 57 / 2020 / दावा 136 एलआरएक्ट

1. गोपीराम कुमावत पुत्र पदमाराम जाति कुमावत निवासी डांसरोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर। —वादी

ब ना म

1. राज्य सरकार (भूमिधारी) जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— प्रतिवादी

दावा बाबत उदघोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती व धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति–

1. श्री राजेन्द्र जाट वकील वादी की ओर सें।

नि र्ण य **दिनांक – 24.12.2020**

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1327 लगायत 1330 किता 4 कुल रकबा 1.86 है0 वाके ग्राम गुमानपुरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर अवस्थित है जिसमें प्रार्थी का हक हिस्सा 1/10 एवं भूमि खसरा नम्बर 391 किता 1 कुल रकबा 4.44 है0 वाके ग्राम डांसरोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें प्रार्थी का हक हिस्सा 1/8 कब्जे काश्त व खातेदारीशुदा है। प्रार्थी का नाम सही व वास्तविक रूप से गोपीराम कुमावत पुत्र पदमाराम है जो सही है तथा यही नाम उपरोक्त भूमियों की खातेदारी में भी दर्ज है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 388 रकबा 2.21 है0 किता एक कुल रकबा 2.21 है0 वाके ग्राम डांसरोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें प्रार्थी का हक हिस्सा 1/4 कब्जे काश्त व खातेदारीशुदा है परन्तु रिकार्ड में प्रार्थी के उक्त हक हिस्से उपरोक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में 1/4 की खातेदारी गोपालराम पुत्र पदमाराम के नाम से दर्ज है अर्थात राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत रूप से गोपीराम के स्थान पर गोपालराम दर्ज हो रखा है। प्रार्थी के परिवार राशन कार्ड मतदाता पहचान पत्र

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

भामाशाह कार्ड बैंक रिकार्ड जाब कार्ड आयकर कार्ड एवं अन्य समस्त रिकार्ड में आवेदक का सही नाम गोपीराम कुमावत पुत्र पदमाराम ही दर्ज है जो सही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में केवल मात्र खसरा नम्बर 388 रकबा 2.21 है0 तन ग्राम डांसरोली में प्रार्थी का नाम गलत रूप से गोपीराम कुमावत के स्थान पर गोपालराम दर्ज है एवं दुरूस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी कई बार बार अप्रार्थी एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपने नाम को संशोधित करवाने हेतु निवेदन कर चुका है परन्तु आज तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है सम्बन्धित समस्त दस्तावेज मुताबिक प्रार्थी के नाम को दुरूस्त कर सही रूप से दर्ज किया जाना न्याय संगत है। वादकारण असरा करिब 8–10 रोज पूर्व अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा प्रार्थी का नाम दुरूस्त करने से इन्कार होने पर उत्पन्न हुआ जो क्षण–प्रतिक्षण निरन्तर रूप से चालू है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 388 रकबा 2.21 है0 किता 1 कुल रकबा 2.21 है0 वाके ग्राम डासरोली पटवार हल्का डासरोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम गोपालराम पुत्र पदमाराम के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम गोपीराम कुमावत पुत्र पदमाराम दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम गोपालराम पुत्र पदमाराम के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम गोपीराम कुमावत पुत्र

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

पदमाराम दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि ग्राम डासरोली के खसरा नम्बर 388 रकबा 2.21 हैं0 की खातेदारी गोपालराम पुत्र दीपाराम हिस्सा 1/4 दर्ज है। उपस्थित मौतविरानों द्वारा बताया गया कि प्रार्थी का वास्तविक नाम गोपीराम ही है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.12.2003 के पुं0 सं0 1 जिल्द सं0 179 में पृष्ठ सं. 128 क.सं. 1668 पर दर्ज विक्रयपत्र में गोपालराम पुत्र पदमाराम के नाम से विक्रय पत्र दर्ज है। प्रार्थी का सही नाम गोपीराम पुत्र पदमाराम है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। **वादी का दावा उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 388 रकबा 2.21 है0 किता 1 कुल रकबा 2.21 है0 वाके ग्राम डासरोली पटवार हल्का डासरोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज वादी का नाम गोपालराम पुत्र पदमाराम के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम गोपीराम पुत्र पदमाराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अंतिम डिक्री व मुकद्में इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
, ब्यअपस त्तवबमकनतम ब्वकमए ।चचमदकपग श्क्श . 1द्ध

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

गोपीराम बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरुस्ती

मुकदमा नं0 57/दावा सन् 2020 निर्णय दिनांक. 24.12.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी **श्री राजेन्द्र जाट** मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है तथा **भूमि खसरा** 388 रकबा 2.21 है0 किता 1 कुल रकबा 2.21 है0 वाके ग्राम डासरोली पटवार हल्का डासरोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर **में खातेदार वादी का नाम गोपालराम पुत्र पदमाराम के नाम को दुरूस्त कर उसके स्थान पर गोपीराम पुत्र पदमाराम संशोधित करने की उद्घोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।**

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.12.2020 को जारी की गई।

दस्तखत ओहदा
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

मोहर

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ (सीकर)

.225 15/51 0.

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ